

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3907/2024

दयाराम पुत्र भजन लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मन्नोज, पुलिस थाना टोडाभीम,
जिला- गंगापुर सिटी, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, राजेंद्र कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक, वृत्त- महुवा, जिला दौसा,
राजस्थान के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री मनोज कुमार अवस्थी
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री शेर सिंह मेहला, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित तिथि : **29/07/2024**

उच्चारण तिथि : **30/08/2024**

1. यह याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा.) मामले, दौसा , जिला दौसा द्वारा आपराधिक विविध आवेदन संख्या 77/2024 में पारित दिनांक 28.05.2024 के आदेश का विरोध किया गया है, जिसके तहत प्रतिवादियों द्वारा धारा 439(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर जमानत आवेदन को रद्द करने की अनुमति दी गई थी और दिनांक 07.03.2024 के जमानत आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि बाद में अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र) में धारा 302/120बी, 342, 323, 364, 201 के तहत गैर- जमानती अपराध जोड़ा गया था। इसके अलावा, आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

2. इस मामले का सार यह है कि श्री आशा देवी ने अपने पति श्री रामदयाल के लापता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मीणा के नेतृत्व में एक एमपीआर संख्या 3/2024 दर्ज की गई , और उसके बाद 08.02.2024 (अनुलग्नक-5) को एक एमपीआर संख्या 3/2024 दर्ज की गई। पूछताछ और जाँच के दौरान एक शव मिला, जिसकी पहचान बाद में श्री संतोष उर्फ संजय के रूप में हुई। इसके बाद, सहायक उपनिरीक्षक श्री रतन लाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 302, 201, 120बी के तहत आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गई।
3. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सहित पाँच अभियुक्तों को 12.02.2024 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, तत्कालीन जाँच अधिकारी श्री प्रेम बहादुर ने संतोष, आशा देवी और उमा शंकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 302, 323, 343, 365, 201, 120बी, 109 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत मामला दर्ज किया और दयाराम के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया। मीणा और राँबिन सिंह मीणा पर आईपीसी की धारा 323, 342 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया है।
4. बहरहाल, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के तहत जमानत याचिका दायर की और उसे 07.03.2024 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अंततः, तत्कालीन जाँच अधिकारी के स्थानांतरण के कारण , मामला श्री राजेंद्र कुमार मीणा को सौंप दिया गया , जिन्होंने पाँचों अभियुक्तों के विरुद्ध सकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
5. बाद में, पुलिस अधीक्षक ने बाद में विकसित साक्ष्य यानी कॉल रिकॉर्ड, स्थान और ऑनलाइन लेनदेन (300/- रुपये) पर विचार करते हुए पाँचों आरोपियों के खिलाफ सकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उचित रूप से यह नोट किया गया कि दया राम मीणा और राँबिन सिंह मीणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120बी, 342, 323, 364, 201 के तहत अपराधों के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने तदनुसार 08.05.2024 (अनुलग्नक-7) को संज्ञान लिया।
6. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति अर्थात् जमानती होने पर जमानत दी गई थी, हालाँकि, गैर- जमानती अपराधों के साथ चालान प्रस्तुत करने पर , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के प्रावधानों के अनुसार उक्त जमानत रद्द कर दी गई और दिनांक 08.05.2024 के आदेश (अनुलग्नक 8) के

तहत अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि जब किसी व्यक्ति को गैर-संज्ञेय, जमानती आरोपों के प्रावधानों पर विचार करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो धारा 439 (2) के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए।

7. इसके अलावा, जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए, फिर भी, तत्काल मामले में पुलिस अधीक्षक ने बिना उचित विचार किए और दो जांच अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता पर गैर- जमानती अपराधों के आरोप जोड़ने का निर्देश दिया।

8. इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सीआरएलएमपी संख्या **2452/2023** में चिन्मय साहू बनाम उड़ीसा राज्य और आपराधिक अपील संख्या **3059-3062/2024** में परविंदर सिंह खुराना बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में दिए गए तर्कों का हवाला दिया। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि उचित समझा जाए तो याचिकाकर्ता पर अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं और इस याचिका को स्वीकार किया जा सकता है।

9. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया और दलील दी कि याचिकाकर्ता को केवल एक चेतावनी के साथ जमानत पर रिहा किया गया था, बशर्ते कि आगे सबूत मिलने पर या याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर- जमानती प्रकृति का कोई अपराध आरोपित होने पर जमानत रद्द कर दी जाए। इसके अलावा, दिनांक 07.03.2024 का उक्त जमानत आदेश एक स्पीकिंग ऑर्डर है, जिसमें उपरोक्त चेतावनी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।

10. इस संबंध में, विद्वान लोक अभियोजक ने आपराधिक अपील संख्या **822-823/2023** में सुश्री एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा किया था, और दिनांक 28.05.2024 के विवादित आदेश का समर्थन करते हुए कहा था कि न्यायालय जमानत आदेश को रद्द कर सकता है यदि जमानत देते समय, भौतिक तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था या बाद में प्रासंगिक कारकों के विकास पर विचार किया गया था।

11. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख के अवलोकन के पश्चात्, यह न्यायालय इस समय निर्विवाद तथ्य को नोट करना उचित समझता है:

11.1. याचिकाकर्ता के साथ चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 342 (याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त के संबंध में) के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

11.2. दिनांक 07.03.2024 के आदेश के तहत आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया गया (सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधानों के तहत दायर)

11.3. यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 07.03.2024 का उक्त आदेश, चल रही जाँच को ध्यान में रखते हुए, एक चेतावनी के साथ पारित किया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि मामले की जाँच के किसी भी बाद के चरण में, अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर-जमानती अपराध साबित करने वाला कोई तथ्य सामने आता है, तो जाँचकर्ता कानून के अनुसार, अभियुक्त को गिरफ्तार करने/वापस हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11.4. अंतिम रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 में उल्लिखित आरोपों पर विचार करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 439(2) सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.05.2024 के आदेश द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी तथा दिनांक 02.03.2024 और 07.03.2024 के आदेश को अपास्त कर दिया। साथ ही, अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

12. अतः, वर्तमान मामले के उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

12.1 दिनांक 07.03.2024 के आदेश में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी दी गई है जिसके अनुसार, मामले में आगे की जाँच के आधार पर, पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए/वापस हिरासत में लिया जाना चाहिए। दिनांक 07.03.2024 के आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“ अतः प्रार्थी / अभियुक्त दयाराम पुत्र भजन लाल द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / अभियुक्त इस प्रकरण में नियत प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु एक लाख रुपये राशि का स्वयं का बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये राशि की दो मौतबीर जमानते, इस न्यायालय की संतुष्टि से प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तथा वह अन्य किसी प्रकरण में वंचित न हो तो युक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रकरण में आगामी किसी भी स्तर पर अनुसंधान से प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतीय अपराध साबित पाये जाने के कोई तथ्य अभिलेख पर आने पर अनुसंधानकर्ता अभियुक्त को पुनः अभिरक्षा में लेने की कारवाही विधिनुसार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।”

12.2. जाँच पूरी होने पर, पुलिस अधीक्षक ने, तत्पश्चात संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, अर्थात् अभियुक्त-याचिकाकर्ता की टावर लोकेशन, कॉल विवरण रिकॉर्ड, ऑनलाइन लेनदेन और अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120बी के अंतर्गत अपराधों के अतिरिक्त आरोप निर्धारित किए। परिणामस्वरूप, विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त अपराध(ओं) का संज्ञान लिया और दिनांक 28.05.2024 को आदेश पारित किया। उपर्युक्त तथ्य दिनांक 28.05.2024 के आदेश के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं।

12.3. यह भी उल्लेखनीय है कि जमानत रद्द करने के इस मामले पर विचार करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि की उचित प्रक्रिया और विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में पारित सिद्धांतों का पालन किया है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से राजेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में एसबी आपराधिक जमानत आवेदन संख्या **52/2018** में प्रतिपादित अनुपात पर भरोसा किया गया है।

12.4. यह न्यायालय म्याकला धर्मराजम एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और **(2020) 2 एससीसी 743** में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में प्रतिपादित उक्ति पर भी भरोसा करता है। पूर्वोक्त अनुपात का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

9. यह एक सामान्य कानून है कि जमानत रद्द करने का आदेश उन मामलों में दिया जा सकता है जहाँ जमानत देने वाले आदेश में गंभीर कमियाँ हों और जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो । यदि जमानत देने वाला न्यायालय, अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली प्रासंगिक सामग्री को नज़रअंदाज़ करता है या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है, जिसका

अभियुक्त को जमानत देने के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करना न्यायोचित होगा।

12.5. इसके साथ ही, प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य **(2019) 17 एससीसी 326** में उल्लिखित अनुपात में, समान परिस्थिति में, जहाँ एक अभियुक्त को एक अपराधिक मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें बाद में नए अपराध जोड़े गए थे, और यह प्रश्न उठा कि क्या अभियुक्त को हिरासत में लेने के लिए पूर्व में दी गई जमानत को रद्द करना आवश्यक होगा, एक खंडपीठ ने कई उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए दृष्टिकोण की जाँच करने का कष्ट किया, और माना कि यह आवश्यक है, और गिरफ्तारी के आदेश न्यायालय से लिए जाने चाहिए। उपर्युक्त मामले से संबंधित अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

31. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम एक परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जहाँ एक अभियुक्त को जमानत देने के बाद, आगे संज्ञेय और गैर- जमानती अपराध जोड़े जाते हैं।

31.1. अभियुक्त नए जोड़े गए संज्ञेय और गैर- जमानती अपराधों के लिए आत्मसमर्पण कर सकता है और जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत से इनकार करने की स्थिति में, अभियुक्त को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।

31.2. अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत के लिए धारा **437(5)** या **439(2)** सीआरपीसी के तहत अदालत से आदेश मांग सकती है।

31.3. [संपादित: पैरा 31.3 को आधिकारिक पत्र दिनांक 31.07.2020 के अनुसार संशोधित किया गया]। न्यायालय, धारा **437(5)** या **439 Cr.PC** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी है, उसकी जमानत रद्द होने के बाद। न्यायालय, धारा **437(5)** और धारा **439(2)** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी है और उसे गंभीर और गैर- जमानती आरोपों के आधार पर हिरासत में सौंप सकता है। ऐसे अपराध जिनके लिए हमेशा पहले की जमानत रद्द करने का आदेश आवश्यक नहीं हो सकता।

31.4. ऐसे मामले में जहाँ अभियुक्त को पहले ही जमानत दे दी गई है, जांच प्राधिकारी किसी अपराध या अपराधों के जुड़ने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे अपराध या अपराधों के जुड़ने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए उसे उस अदालत से अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त करना होगा जिसने जमानत दी थी।

13. उपर्युक्त के आलोक में, विशेष रूप से प्रदीप राम (सुप्रा) की पंक्ति के अंतर्गत, यह न्यायालय इस विचार का है कि ऐसी स्थिति में, जहां जमानत दिए जाने के बाद रिपोर्ट में और संज्ञेय और गैर- जमानती अपराध जोड़े जाते हैं, अभियुक्त के लिए उपलब्ध सहारा यह है कि वह आत्मसमर्पण करे और नए जोड़े गए अपराधों के संबंध में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करे। जांच एजेंसी भी सीआरपीसी की धारा 437 (5) या धारा 439 (2) के प्रावधानों को लागू करके अभियुक्त की हिरासत की मांग करने के लिए न्यायालय में जाने की हकदार है , जो कानून के अध्याय XXXIII के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित किए जाने पर , न्यायालय जिसने अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया हो या अपीलीय न्यायालय उसे प्रदत्त विशेष शक्तियों के प्रयोग में , जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है। संक्षिप्तता के लिए प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“धारा 439 (2) – उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में सौंप दिया जाए।”

14. उपर्युक्त के सारांश में , यह न्यायालय आश्चर्य है कि दिनांक 28.05.2024 का आदेश अनियमितता और मनमानी से मुक्त है, क्योंकि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर समुचित विचार करने के बाद, विधि के अनुसार पारित किया गया है। तथापि, यह जोड़ना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। यदि याचिकाकर्ता धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर और विधि के अनुसार, ऊपर की गई टिप्पणियों से अप्रभावित, विचार किया जाएगा ।

15. तदनुसार, वर्तमान याचिका गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(समीर जैन), जे

अनिल शर्मा /22

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी